

राज्य सभा

संसदीय समाचार

भाग - 2

सं.56427-56429]

सोमवार, 6 मार्च, 2017

सं.56427

विधायी अनुभाग

सरकारी संकल्प

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अनिल माधव दवे ने निम्नलिखित संकल्प की सूचना दी है, जिसे गृहीत कर लिया गया है:-

"यह सभा समानता और मितव्ययिता पर विचार करते हुए और 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य विवाचन के लिए योजना के पैरा 21 के अनुसार भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) में फोटोग्राफर के पद के लिए दिनांक 20.06.1991 से तत्समय विद्यमान 1200-2040 रूपये के वेतनमान के बदले में 1400-2300 रूपये के उच्चतर वेतनमान को देने के संबंध में विवाचन बोर्ड द्वारा 16.04.1998 को 1992 का सी. ए. संदर्भ मामला सं. 1 में दिए गए अधिनिर्णय को अस्वीकार करने संबंधी सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करती है, क्योंकि, इस अधिनिर्णय के कार्यान्वयन से बीएसआई में विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि बीएसआई के फोटोग्राफर का वेतनमान बीएसआई के वरिष्ठ फोटोग्राफर, जो फोटोग्राफर के लिए पदोन्नति पद है, के वेतनमान के समान हो जाएगा जिससे बीएसआई के वरिष्ठ फोटोग्राफर पद के लिए उच्चतर वेतनमान की मांग स्वतः उठेगी और उसके बाद अन्य संगठनों में समान श्रेणियों के कर्मचारियों से भी उच्चतर वेतनमान की मांग उठेगी।"

सं.56428

विधायी अनुभाग

अनियत दिन वाले प्रस्ताव
सूची सं. 3
नियम 170 के अधीन गृहीत प्रस्ताव

श्री हुसैन दलवई द्वारा

"यह सभा विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में वाद-विवादों और चर्चाओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्पन्न खतरे पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह इस मौलिक अधिकार की रक्षा कर अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करे।"

सं.56429

प्रश्न शाखा

प्रश्नों की सूचनाओं के बैलट का परिणाम

राज्य सभा की 22 मार्च, 2017 को होने वाली बैठक के लिए 6 मार्च, 2017 को म.प. 3.00 बजे तक प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं के संबंध में 6 मार्च, 2017 को महासचिव की उपस्थिति में बैलट कराया गया।

सदस्यों की सूचना हेतु तारांकित प्रश्नों के बैलट के परिणाम को सूचना कार्यालय में रखा गया है और बाहरी लॉबी में सूचना पट्ट पर भी लगाया गया है।

शमशेर के. शरीफ,
महासचिव।